संख्या- 6/2021/95/क0नि0प्र0/26-3-2021-13(61)/2013

प्रेषक,

राज रतन,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ लखनऊः दिनांकः 27 जनवरी,2021

समाज कल्याण विभाग

विषयः अनूसूचित जाति सब प्लान के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता (एस.सी.ए. टू एस.सी.एस.पी.) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के माध्यम से संचालित कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु धनराशि की स्वीकृति वर्ष 2020-2021

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या- 23/2020/306/क0नि0प्र0/26-3-2020-13(61)/2013 दिनांक 22 मई, 2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-2021 में अनुसूचित जाति सब प्लान (एस.सी.ए. टू एस.सी.एस.पी.) के अन्तर्गत कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन हेतु निर्धारित/अनुमोदित भौतिक लक्ष्यों के सापेक्ष रू0 10,00,00,000/- (रू0 दस करोड़ मात्र) की धनराशि निम्नलिखत शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1-उपर्युक्त धनराशि आप द्वारा आहरित कर मिशन निदेशक कौशल विकास मिशन, अलीगंज, लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी। प्रश्नगत विशेष केन्द्रीय सहायता की धनराशि केवल अनुसूचित जाति सब प्लान के अन्तर्गत ही नियमानुसार व्यय की जायेगी। मिशन निदेशक द्वारा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय/उपभोग की सूचना यथा समय कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन तथा प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 को उपलब्ध करायी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है क्षर कीइस पर हस्ता :अत ,आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- उपरोक्त स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत मिशन निदेशक, कौशल विकास मिशन के माध्यम से संचालित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पी.एम.ए.जी.वाई.) के अन्तर्गत चयनित गांवों में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण दिलाया जायेगा ताकि इन गांवों में निवास करने वाले व्यक्तियों को स्वरोजगार प्राप्त हो सके।

3- प्रश्नगत धनराशि का व्यय भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा योजना के संबंध में निर्गत दिशा-निर्देशों/व्यवस्थाओं के अधीन किया जायेगा।

4- यह भी सुनिश्चित किया जाय कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

5- प्रश्नगत धनराशि का व्यय भारत सरकार की गाइडलाइन्स के अनुसार बी0पी0एल0 के प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु व्यय की जायेगी। वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा तथा यह भी सुनिश्चत किया जायेगा कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

6- उक्त स्वीकृत धनराशि को व्यय/उपभोग किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि योजनान्तर्गत पूर्व में अवमुक्त धनराशि पी.एल.ए./डिपाजिट खातों में अप्रयुक्त उपलब्ध न हो।

7- उपर्युक्त अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा और न ही किसी अन्य मद में धनराशि का उपभोग शासन की अनुमति के बिना किया जायेगा।

8- उपरोक्त धनराशि के उपभोग प्रमाण-पत्र नियमानुसार शासन तथा महालेखाकार उ.प्र. प्रयागराज को यथा समय उपलबध कराये जायेगे। इस अनुदान के उपभोग पर वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के अध्याय-16-ए के नियम लागू होगें।

9- यह भी अवगत कराना है कि प्रश्नगत धनराशि का प्रदेशन मात्र ही किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता जिसे करने हेतु बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक है। अतः

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है क्षर कीइस पर हस्ता :अत ,आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

ऐसी स्वीकृतियां जहां आवश्यक हो व्यय करने से पहले अवश्य प्राप्त कर ली जाय। धनरशि के व्यय की कार्यवाही योजना के अनुरूप सुनिश्चित की जाय।

2- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्यय की अनुदान संख्या-83-समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के लेखाशीर्षक- 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजना-0105-अनुसूचित जाति के युवकों के लाभार्थ विविध प्रशिक्षण योजनायें (के.100/रा.0-के.)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामें डाला जायेगा।

3- प्रश्नगत धनराशि के निर्गत किये जाने के संदर्भ में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-2-2528/दस-2014-10/77 दिनांक 26-08-2014, कार्यालय-ज्ञापसंख्या-1/2020-बी-1-149-दस/2020-231/2020 दिनांक 24 मार्च,2020, कार्यालय-ज्ञाप संख्या-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020 दिनांक 11-04-2020 एवं शासनादेश दिनांक 29-09-2020 में निर्धारित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-4-52/दस/2020 दिनांक 18 जनवरी,2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राज रतन
संयुक्त सचिव।

पृ.सं. 6 /2021/95(1)/क.नि.प्र./26- 3-2021 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, लेखा प्रथम/आडिट प्रथम, उ.प्र. प्रयागराज।
2- कोषाधिकारी,जवाहर भवन,लखनऊ।
3- प्रमुख सचिव,व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,उ0प्र0 शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है क्षर कीइस पर हस्ता :अत ,आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

5- निदेशक, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम,महानगर, लखनऊ।

7- मिशन निदेशक, कौशल विकास मिशन,अलीगंज,लखनऊ।

8- वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण निदेशालय, उ.प्र.लखनऊ।

9- वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4, उ0प्र0शासन।

10-एन.आई.सी.की प्रति।

11-बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण, उ0प्र0शासन।

12-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अनिल कुमार सिंह
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है क्षर कीइस पर हस्ता :अत ,आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।